



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13012023-241936
CG-DL-E-13012023-241936

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 217]
No. 217]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 13, 2023/पौष 23, 1944
NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 13, 2023/PAUSHA 23, 1944

श्रम और रोज़गार मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जनवरी, 2023

का.आ. 230(अ).— सुशासन के लिए आधार अधिप्रमाणन (सामाजिक कल्याण, नवाचार, ज्ञान), नियम, 2020 के नियम 5 के साथ पठित आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) की धारा 4 की उप-धारा (4) के खण्ड (ख) के उप खण्ड (ii) के अनुसरण में केंद्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत किए जाने पर श्रम और रोज़गार मंत्रालय यह अधिसूचित करता है कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम को स्वैच्छिक आधार पर हां या नहीं विकल्प या ई-केवाईसी प्रमाणीकरण सुविधा का उपयोग करते हुए लाभार्थियों की पहचान, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) के उपबंधों के अधीन चिकित्सा और नकद हितलाभ सहित सामाजिक सुरक्षा हितलाभ उपलब्ध करने के लिए आधार अधिप्रमाणन की अनुमति दी जाती है।

2. कर्मचारी राज्य बीमा निगम अधिनियम के सभी सुसंगत उपबंध, उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों तथा भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन करेगा।

3. यह अधिसूचना भारत के राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. आर-19025/27/2022-एसएस-1]

आलोक चंद्रा, वरिष्ठ श्रम और रोज़गार सलाहकार

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT**NOTIFICATION**

New Delhi, the 13th January, 2023

S.O. 230(E).—In pursuance of the provisions of sub-clause (ii) of clause (b) of sub-section (4) of section 4 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) read with rule 5 of the Aadhaar Authentication for Good Governance (Social Welfare, Innovation, Knowledge) Rules, 2020, the Ministry of Labour and Employment, having been authorised by the Central Government, hereby notifies that the Employees' State Insurance Corporation is allowed to perform Aadhaar authentication, on a voluntary basis, for identification of beneficiaries, using Yes or No option or eKYC authentication facility, for providing social security benefits including medical and cash benefits under the provisions of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948).

2. The Employees' State Insurance Corporation shall, for the said purpose, comply with all relevant provisions of the said Act, the rules and regulations made thereunder, and the directions issued by the Unique Identification Authority of India in this behalf.

3. This notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. R-19025/27/2022-SS-I]

ALOK CHANDRA, Senior Labour and Employment Advisor